

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठारीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गिनो: - 410/2025

1. राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. बबीता पुत्री सोहनलाल
2. ममता पुत्री सोहनलाल
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल
4. संजय कुमार पुत्र सोहनलाल
5. अमित कुमार पुत्र छोटूराम
6. मेघाराम पुत्र लेखराम
7. रामजस पुत्र लेखराम
8. रेशमी देवी पत्नी सोहनलाल
9. रामसिंह पुत्र लेखराम

जाति जाट निवासीयान तलवाडाझील  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 30/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी राजकुमार 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 5 अमित कुमार 2/5 हिस्सा, प्रतिवादीसं० 6 मेघाराम 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 7 रामजस 1/5 हिस्सा चकनं० 5 टी.एल. डबल्यू के खातासं० 81/193 में कुल 1.543 है० में से प्रतिवादीसं० 1 ता 4 प्रत्येक का 15/3086 हिस्सा,

चकनं० 5 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 82/194 में कुल अंकित 4.593 है० में से प्रतिवादी सं० 1 तां 4 प्रत्येक का 39/6124 हिस्सा


ख.वादी राजकुमार, प्रतिवादीसं० 5 अमित कुमार, प्रतिवादीसं० 6 मेघाराम, प्रतिवादी सं० 7 रामजस, प्रतिवादीसं० 8 रेशमी देवी बहि०ब० चक नं० 5 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 217/236 में कुल 1.265 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 ता 4 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा आराजी के खातेदार काशतकार घोशित किये जाते है व चक चकनं० 5 टी.एल.डबल्यू के खाता सं० 81/193, खाता सं० 82/194, खाता सं० 217/236 में से प्रतिवादीगण सं० 1 ता 4 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर  
टिब्बी

को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/10/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।